सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी – गौरव बांकावत आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 193

1. श्री गनी पुत्र श्री रहमतुल्ला खां आयु 58 वर्ष जाति मुसलमान निवासी–चोपडा क ढाणी, नागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

वादी

बनाम

1. श्री सलीम पुत्र श्री रहमतुल्ला खां आयु 61 वर्ष जाति मुसलमान निवासी–चोपडा की ढाणी, खोह नागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान
2. श्री तबरेज इलाही पुत्र श्री महबूब इलाही आयु..... वर्ष जाति मुसलमान निवासी–माकन नं. 13, नवलगढ़ हाऊस, तिजला जयपुर, राजस्थान।
3. तहसीलदार, महोदय, तहसील सांगानेर, जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण

वादी : श्री अब्दुल हकीम

दावा बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–15.03.2025

सत्यमेव जयते

वादी की ओर से वाद बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया जिसका वृतान्त विवरण निम्न प्रकार से है :– यह कि वादी एक गरीब किसान एवं ग्रामीण व्यक्ति है, जो कि उपरोक्त पते पर मय परिवार निवास करता है। यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम खोनगोरियान, पटवार हल्का खोनगोरियान, भू–अभिलेख निरीक्षक लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित आराजी भूमि खाता संख्या नया 306 पुराना 282 के खसरा नम्बर 2554 रकबा 0.4600 हक्टैयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें वादी का 11/23 हिस्सा निहित है। जो कि वादपत्र में वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित की गई है। यह कि वादी उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि पर अपने हिस्से पर काबिज है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में वादी का हिस्सा निहित है जिसमें वादी

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

काबिज काश्त कृषि भूमि का उपयोग–उपभोग संयुक्त रूप से काश्त करता चला आ रहा है जिसमें अभी तक कोई तकासमा नहीं हुआ है उक्त सम्पत्ति तकासमा तलब कृषि भूमि है। यह कि वादी व प्रतिवादीगण भी संयुक्त रूप सेउक्त सम्पूर्ण कृषिप भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं और राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम दर्ज व अंकित चला आ रहा है प्रतिवादीगण को वादी ने मौखिक रूप से तकासमा करने को कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने तकासमा करने से साफ मना कर दिया तथा विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा नहीं हुआ है इसलिये न्यायहित में राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके पर बंटवारा किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रतिवादीगण प्रभावशाली व्यक्ति है जिन्होंने एक गिरोह बना रखा है जो आये दिन लड़ाई–झगडा करते रहते है और वादी के हिस्से की भूमि में नाजायज कब्जा करके वादी को वादी के कब्जेशुदा हिस्से से बेदखल करना चाहते हैं तथा भू–माफियां लोगो को व अन्जान व्यक्तियों को राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा करने से पूर्व नाजायज बैचान करके वादी को बेदखल करना चाहते हैं तथा दिनांक 27.08.2024 को प्रतिवादीगण को वादी ने लिखित एवं विधिवत तकासमा करने को कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने लिखित व विधिवत तकासमा करने से साफ मना कर दिया और कहा कि हम, मौखिक तकासमे को नहीं मानते, मैं, तुम्हारे हिस्से की जमीन को भी अविभाजित मानकर बैचान कर दूंगा और प्रतिवादीगण संख्या 01 ने वादी को ऐलानियां धमकी दी की उक्त अविभाजित कृषि भूमि का बैचान कर दूंगा एवं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और क्रेता तुमसे मनमर्जी अनुसार कब्जा ले लेगा। प्रतिवादीगण को वादी अकेला रोक पाने में असमर्थ है।

यह कि दिनांक 28.08.2024 को वादी के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 01 ने नाजायज अतिक्रमण करने का प्रयास किया व अजनबी लोगों को लाकर वादी के कब्जें में जो भूमि है, उस भूमि पर जबरन रोड़ बनाने के लिये सामग्री डालकर अतिक्रमण करने का प्रयास किया और वादी के विरोध करने पर वादी के साथ प्रतिवीगण संख्या 01 ने अभद्र व्यवहार किया और झगड़ा करने पर आमादा फसादा हो गये और धमकी दी की हम उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करेंगे और तुम्हें तुम्हारे हिस्से से बेदखल करके रहेंगे, इस प्रकार उस समय तो प्रतिवादीगण संख्या 01 तथा अन्य लोग धमकी देकर चले गये लेकिन उसके बाद भी प्रतिवादीगण संख्या 01 अजनबी लोगों को मौके पर लाता है तथा बंटवारा करने से पूर्व ही उक्त वादग्रस्त भूमि को बैचान कर वादी को बेदखल करना चाहता है जिसका उसको कोई अधिकार नहीं हैं। यह कि अगर प्रतिवादीगण संख्या 01 अपने नापाक इरादे में कामयाब हो गया तो वादी के साथ बड़ा अन्याय होगा वादी अपने हिस्से व कब्जेशुदा भूमि से बेदखल हो जायेगा तो वादी को अतुलनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति कभी संभव नहीं होगी व परिवार के भूखे मरने की नोबत आ जायेगी। इसलिए वादी, प्रतिवादीगण संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेषाज्ञा से पाबन्द करवाने व विवादित आराजी का विधिवत बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करवाने का अधिकारी है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

अंत में प्रार्थना की गई है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेषाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वह विवादित

कृषि भूमि सम्पत्ति जिसका विवरण वादपत्र के पैरा संख्या 2 में अंकित है में प्रतिवादीगण विधिवत बंटवारा होने से पूर्व किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करे, तथा वादी को उसको हिस्से में उपयोग–उपभोग करने में बांधा नहीं डाले, ना ही बैचान करे, ना ही अवैध निर्माण करे, प्रतिवादीगण ऐसा ना तो स्वयं करे, ना ही अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट, कारकुनान इत्यादि से करावें। यह कि विवादित आराजी जिसका मद नंबर 2 में वर्णन किया गया है, उसका विधिवत बंटवारा किया जाकर बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अलग–अलग हिस्से कायम कर हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के अलग–अलग खाते खोले जावें व अलग से लगान तय किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी ने वाद मे बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। वकीलवादी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर वाद पत्र का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात में सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है, जिसके मध्य आज दिनांक तक विधिवत् तकासमा नहीं हुआ है। इसलिए वाद में तकासमा किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या नया 306 पुराना 282 के खसरा नम्बर 2554 रकबा 0.4600 हेक्टैयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.4600 हैक्टेयर वाकै ग्राम खोनागोरियान पटवार हल्का खोनागोरियान भू.अभि.नि. क्षेत्र लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का विधि सम्मत मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायाल में भिजवायें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री व तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हो।

सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 15.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

प्राथमिक डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **गौरव बांकावत** (आर.ए.एस.)

गनी **बनाम** सलीम वगै.

दावा बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/2024/193

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गौरव बांकावत व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या नया 306 पुराना 282 के खसरा नम्बर 2554 रकबा 0.4600 हेक्टैयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.4600 हैक्टेयर वाकै ग्राम खोनागोरियान पटवार हल्का खोनागोरियान भू.अभि.नि. क्षेत्र लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का विधि सम्मत मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायाल में भिजवायें।

निज .... मुबलिग .... बाबत् ....
.. खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.03.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....
सहायक कलक्टर

ओहदा ..जयपुर शहर द्वितीय..............

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय